भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1259

11.02.2025 को उत्तर के लिए नियत

ई-वाहनों का संवर्धन

1259. **श्री हरीभाई पटेल**:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 10,900 करोड़ रुपए की प्रधान मंत्री ई-ड्राइव योजना भारत में विद्युत गतिशीलता को किस प्रकार संवर्धित करेगी और देश के पर्यावरणीय लक्ष्यों में योगदान देगी;
(ख) उपभोक्ताओं और विनिर्माताओं दोनों के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना के कार्यान्वयन से किन-किन प्रमुख लाभों की आशा है;
(ग) इस योजना के अंतर्गत भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने के लिए सहायता और प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(घ) सरकार का ई-ड्राइव योजना के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए इसके सफल नियोजन और निगरानी को सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय कार्यान्वित करने का विचार है; और
(ङ) पीएम ई-ड्राइव योजना किस प्रकार इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के विकास को सुगम बनाएगी और इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करेगी?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): ₹ 10,900 करोड़ की पीएम ई-ड्राइव स्कीम का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाना और कई प्रमुख कार्यनीतियों के माध्यम से देश के पर्यावरणीय लक्ष्यों में योगदान देना है। यह स्कीम 31.03.2026 तक उपलब्ध है। इस स्कीम का उद्देश्य निम्नलिखित तरीके से अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है:

i. **ईवीएस का तीव्र अंगीकरण:** यह स्कीम मांग प्रोत्साहन के माध्यम से अपनी अग्रिम लागत को कम करके इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्थान में तेजी लाने का प्रयास करती है।

ii. **चार्जिंग अवसंरचना:** ईवी उपयोगकर्ताओं के बीच विश्वास पैदा करने और बढ़ते ईवी बेड़े का समर्थन करने के लिए मजबूत चार्जिंग अवसंरचना नेटवर्क स्थापित करने विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है।

iii. ईवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र: यह स्कीम स्थानीय ईवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ावा देती है, दीर्घकालिक संधारणीयता सुनिश्चित करती है और आयात पर निर्भरता को कम करती है।

iv. सार्वजनिक परिवहन पर जोर: सार्वजनिक परिवहन और वाणिज्यिक उपयोग के लिए ईवीएस को प्राथमिकता देने का उद्देश्य जनता के लिए पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्प प्रदान करना है, जिससे समग्र उत्सर्जन को कम किया जा सके।

v. जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी: इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देकर, इस स्कीम का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और परिवहन क्षेत्र से उत्सर्जन को कम करना है।

(ख): उपभोक्ताओं और निर्माताओं दोनों के लिए पीएम ई-ड्राइव स्कीम के कार्यान्वयन से मुख्य अपेक्षित लाभ इस प्रकार हैं:

i. उपभोक्ताओं के लिए: मांग प्रोत्साहन ईवी की प्रारंभिक लागत को कम करते हैं, जिससे वे ईवी खरीदारों के लिए अधिक सुलभ हो जाते हैं।

ii. निर्माताओं के लिए: मांग प्रोत्साहन सीधे ईवीएस की मांग को प्रोत्साहित करते हैं, बिक्री और उत्पादन की मात्रा को बढ़ाते हैं। चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देते हुए ईवी घटकों के स्थानीयकरण का समर्थन करता है।

(ग): स्कीम के तहत भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के अंगीकरण के लिए समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

i. **वित्तीय सहायता:** वित्त वर्ष 2024-25 में 5,000 रुपये प्रति किलो वाट घंटा और वित्त वर्ष 2025-26 में 2,500 रुपये प्रति किलो वाट घंटा का मांग प्रोत्साहन ई -दुपहिया और ई -तिपहिया श्रेणियों के लिए प्रदान किया गया है। इन प्रोत्साहनों को एक्स-फैक्ट्री मूल्य के 15% पर कैप किया गया है।
ii. **ई-बसें**: इस स्कीम में 14,028 ई-बसों के रोलआउट के लिए 4,391 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
iii. **स्क्रैपिंग को प्राथमिकता देना**: ई-बसों को तैनात करने के लिए अनुदान के लिए, अधिकृत आरवीएसएफ के माध्यम से पुरानी एसटीयू बसों को खत्म करने के बाद नई ई-बसों की खरीद करने वाले शहरों/राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी ।

(घ): पीएम ई-ड्राइव स्कीम का सफल परिनियोजन और निगरानी सुनिश्चित करने और इसके प्रभाव को अधिकतम करने के लिए, सचिव, भारी उद्योग की अध्यक्षता में परियोजना कार्यान्वयन और मंजूरी समिति (पीआईएससी), एक अंतर-मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। पीआईएससी पीएम ई-ड्राइव स्कीम की समग्र निगरानी, मंजूरी और

कार्यान्वयन करता है। यह समिति कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी बाधा या कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी जिम्मेदार है।

(ड.): यह स्कीम इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के विकास की सुविधा प्रदान करेगी और इस क्षेत्र में निम्न प्रकार से रोजगार के अवसरों का सृजन करेगी:

i. घरेलू विनिर्माण: चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) ईवी घटकों के प्रगतिशील स्थानीयकरण, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने को अनिवार्य करता है।

ii. चार्जिंग अवसंरचना विकास : चार्जिंग अवसंरचना में निवेश व्यवसायों और उद्यमियों के लिए स्थापना, रखरखाव और संचालन में अवसर उत्पन्न करता है।

iii. स्थानीय विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन: ईवी चार्जर के निर्माण में घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) का न्यूनतम 50% प्रतिशत स्थानीय घटक निर्माता के लिए प्रोत्साहन है।

****